Office of the District Collector Kangra at Dharmshala

No. 1922 /DRA Dated 7 May 15.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 0-12-12 hects of forest land proposed to be diverted in favour of Asstt. Engineer H.P.Electercity Board Nagrota Bagwan in Kangra Distt.falls within jurisdiction of Jadrangal village in Dharamshala Tehsil.

It is further certified that:

- (m) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-12-12 hecters of forest land proposed for Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to
- (n) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before (each) concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (o) the Sethu Nala, Bhaenta & Thala Gram Sabhas have certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificates issued by the Gram Sabha Balla enclosed as annexure.
- (p) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (q) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha Balla has been given their consent to it,
- (r) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.

Ritesh Charn, IAS Distt Collector, Kangra at Dharmshala

Encl. As above.

OFFCIE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Act (FRA,2006

A meeting of the District level Committee of Kangra District, constituted under FRA,2006 was held under the Chairmanship/chairpersonship of Mr/Ms.-RITESH CHAUHAN Deputy Commissioner, Kangra on 10-11-2015 on at 11-00AM /PM at Dharamshala (Place) in which As informed by SDO(Civil) Dharamshala, no application was received from Balla Jadrangal Gram Sabha claiming right in 0-12-12_Hect.forest area.

Place: DISolu Date: 17-12-15

DC. Cum-Chairman/Chairperson Kangra at Dharamshala

आज ्रेनीक 07/08/2015 प्रातः 11.00 वजे को कार् लय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दुसरे अधिकारों पर प्रभाव ना पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमेटी की बैठक श्री श्रवण मान्टा उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिस में निम्नलिखित मामलों की चर्चा की गई:-

महाल कण्ड में. जदरागंल से कण्ड वगयाड़ा सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू कुल भूमि 0-90-01 है0 मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है। . महाल ट्रण्डू में ट्रण्डू से धनोटू सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू कुल भूमि 0-62-40 है0 व महाल चढी 2. धनौटू में 0-14-10 है0 मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है। महाल ठारू में मनौड़ी से खसैवर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू कुल भूमि 0-24-80 है0 मलकीयती 3 सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है।

महाल ठारू में ललेटा से वन् महादेव सम्पर्क सड़क निर्माण हेलू कुल भूमि 0-73-30 है0 व महाल भटेच्छ में 0-61-83 है0 कुल भूमि 2 महाल 1-35-13 है0 मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा .वन विभाग की अर्जित की जानी है। .

महाल वल्ला जदराँगल में 33/11 के0वी0 विधुत सब स्टेशन के निर्माण हेतू कुल भूमि 0-12-5 12 है0 मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है। महाल टह व चोहला में इन्दरू नाग से चोहला सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू कुल भूमि 0-36-43 6 है0'मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है।

महाल जूहल में जूहल सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू कुल भूमि 0-63-56 है0 मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है।

महाल रुहडू में लोहारकड़ से रुहडू सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू कुल भूमि 0-28-82 है0 मलकीयती सरंकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की अर्जित की जानी है।

वनं परिक्षेत्र आधिकारीं,

7

8

क्रमांक

1

2

3

4

5

तहसीलदार, धर्मशाला संचिव एवंम सदस्य

नाम पदाधिकारी

• धर्मशाला सदस्य

श्रीमति सीमाँ देवी पत्नी 'श्री गगन कुमार गाँव नरवाणा डाकघर योल तह0 धर्मशाला जिला कॉंगडा हि0प्र0 सदस्य पंचायत समिति

श्रीमति नीलम कुमारी पुत्री श्री प्यारे लाल निवासी गाँव व डाकघर रक्कड तह0 धर्मशाला जिं0 कॉंगड़ा हि0 प्र0 सदस्य पंचायत समिति

श्री विक्रम सिंह पुत्र उज्जवल सिंह गाँव डाकघर नागन पट तह0 धर्मशाला जिला कॉगड़ा हि0प्र0 सदस्य पंचायत समिति मैम्वर मो0 न0

99 41 8 Stir Bringing

रहरताक्षा

Tebeilder Bharamshalal8.F.

Simo

न अधिकारी (ना) प्रयंशाखाः



अन्याचित जनवालि और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति ग्राम सभा वल्ला प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताद संख्या ७ र.

TEO TO

2

दिनांक 10-7- 2015

त्रम अधिकार समिति ग्राम अमा. BAUA SADRANGAL की बैठक आज दिनांक 10 - 7-15-दो 10 - भ बजे स्थान म ली। में श्री/ श्रीमति 27 नी ने दुतकी अध्यक्षता में की गई जिसमें...... गाँव के अनुसूचित जनजाति वल्ला जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें वियुत्त विमाग हार 33/11 ** 2×1.6 MuA Sc 6-St नेमाय के लिए 0-12-12-वैवटेयर वन भूमि के उपनोग की मंजूरी प्रस्ताचित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए जब लसियों के बन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की नई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत र वेभ्यादेलों के अध्ययन तथा जस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति लभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा निवनालुसार राही पावा गया :--

* पात्र ग्रांव वासी का नाम जंगल का नाग वन अधिकार का ब्यौरा तवामुसार यह यन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम समा से इसकी लिफारिश करती है।

७परोक्त में से निम्न लिखित वान्नों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गेपा:--**亚**0哥0 * पात्र ग्राम वारों का नाम 1.

विवासार गान समा इस दाये/इन यायां का निरस्त करने की लियवरिश

अधीकृत हस्ताक्षरकृता

याम रामा.....रनार्य वन् 311 धर कार रनमी

KITT 9-20 OTLUIT ania (0) 71 15

addal यामवासी/गाम जासीयों के नाम जिन्होंनें इस वन क्षेत्र/जंगल में बन अधिकार के दावे के लिए

and the states of which we want to be a series

** प्रोजेंक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के जपयरेग की अनुगति दी जानी है

the PLEAD. Gurche

Annexur -

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

गाम सभा वल्ला प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 62

· दिनांक 0 - 7 - 15

वन अधिकार का व्यो

स्ताधारक्रमा

गाम सभा BALLA JADRANZAL की बैठक आज दिनांक 10-7-15 को 10.20 बजे स्थान वलला में श्री/श्रीमति रेनुना हा देने की अध्यक्षत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत. जिल्ला, जेगले? क्षेत्र में (जिसमें किन्द्रन विभाग हारा 33/11* 24.6 MUA, Sed Sh के निर्माण के लिए 2-12 हैक्ट्रेयर भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित भात्रा वावा निवधानुसार सही पाया गया :--0万00 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल को नाम

1.

1.

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित के उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया--

01700 * पात्र ग्राम वासी का नाम

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

अधिकार का दाया प्राप्त नहीं हुआ

R. P.197 दिनाक.....

- * गामवासी/गाम वासीयों के नाम जिन्होंनें इस वन क्षेत्र/जेंगल में वन अधिकार के दावे व आवेदन किया है।
- प्रोजेयट/ कार्य का जान जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत जन गृष्टि उपयोग की अनुमति दी जानों है।

Annexure-V अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत दन निपासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006 गाम समा वेल्या जियराश्च विकास खण्ड नगरीए वग्वा, जिला भागे (हि०प्र०) STOIST प्रतिलिपि प्रस्ताव दिनां a05-4-2015 124 368 यञ्चभयति..... प्रस्ताव संख्या 1 विषय. विभाग तिमाग तिस्या का जुन् वियन विभाग विभाग/संस्था को 33/11 Kv 2×1.6mup उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू। ग्राम समा <u>BALLA SADRANGAL</u> की बैठक आज दिनांक 5-4-15 को 11. 20 बजे, रशान कायात्मय आभवे न्यात् में की गई, जिसमें (HPSEBL) विदुक्त विभाग/संख्या को 33/11 Kv, 2x 1.6 MUA,हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई। सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व संम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोधत प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटोरे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त आधेनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....हैक्टेयर वन भूमि को...... स्थान विद्य को अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता anit us - 4 - rote गाम समा नेकली जिंदराग ले